कार्यालय नगर निगम पानीपत

सार्वजनिक सूचना

नगर निगम पानीपत क्षेत्र में कार्यरत सभी डिस्लज ऑपरेटर्स अपना रजिस्ट्रेशन नगर निगम पानीपत में करवाना सुनिश्चित करें । किसी भी डिस्लज ऑपरेटर को बिना रजिस्ट्रेशन के कार्य करते हुएॅ पाए जाने पर नगर निगम पानीपत द्वारा भारी जुर्माना लगाया जाएगा या ट्रेक्टर–टैंकर जब्त करने की कार्यवाही अम्ल मे लाई जाएगी। नगर निगम पानीपत क्षेत्र में सर्व जन साधारण को सूचित किया जाता है कि अपने शौचालय के सैप्टिक टैंक को नगर निगम पानीपत से रजिस्टर्ड डिस्लज ऑपरेटर्स के द्वारा ही साफ करवाएं जिसकी प्रति टैंकर फीस 1200/–रूपए नगर निगम प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई है। तथा नगर निगम द्वारा प्रत्येक डिस्लज ऑपरेटर को सैप्टिक टैंक के Sludge को पानीपत शहर में संचालित 6 STP प्लांट पर ही खाली करना है। सैप्टिक टैंक के Sludge को यदि किसी भी डिस्लज ऑपरेटर द्वारा पानीपत शहर में किसी भी अन्य स्थान पर खुले में डालता पाए जाने पर सन् 1994 की नगर निगम की धारा 292 एवं 309 के तहत पहली बार नियम की उल्लंघना करने पर 5000/–रूपए व दूसरी बार नियम की उल्लंघना करने पर 25000/–रूपए व तीसरी बार नियम की उल्लंघना करने पर ट्रेक्टर–टैंकर जब्त करने की कार्यवाही अम्ल मे लाई जाएगी।

उपरोक्त विषय से संबंधित किसी भी जानकारी एवं शिकायत बारें नगर निगम पानीपत के टोल फ्री नं0–1800–180–1840 पर किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संपर्क करें।